पत्रांक–म०भो० / को०–337 / 2011 – 644

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 31/05/12

विषयः मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में DFS (Double Fortified Salt) का उपयोग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय पोषाहार नीति 1993 द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के मृत्यु दर में कमी लाने एवं उनकी स्वस्थतता को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों हेतु बनने वाले पोषाहार में DFS (Double Fortified Salt) का उपयोग करने की अनुशंसा की गई है। उक्त नमक में आयरन एवं आयोडिन प्रचुर मात्रा में होती है। जिसके उपयोग से एनीमिया एवं आयोडीन के अभाव में होने वाली अन्य बीमारियों पर विराम लगायी जा सकती है।

अतएव, आपको निदेश दिया जाता है कि आप विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों हेतु बनने वाले पोषाहार में DFS (Double Fortified Salt) का उपयोग करने हेतु यथोचित कदम उठाने का कष्ट करेंगे।

(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

Vijay

200